



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:41132

उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ

दांडिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या.- 3556/2026

सोनम

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा गृह विभाग, लखनऊ

.....प्रतिवादी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:- ज्ञानेन्द्र पाठक

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या. - 11

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता श्री ज्ञानेन्द्र पाठक तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री रविश मिश्रा को सुना तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

2. प्रस्तुत जमानत आवेदन, आवेदिका को थाना विशेश्वरगंज, जनपद बहराइच में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 80/2026, धारा 108 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. उपर्युक्त वाद अपराध तीन व्यक्तियों, जिनमें आवेदिका एवं उसके परिवार के सदस्य सम्मिलित हैं, के विरुद्ध दिनांक 01.04.2026 को दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पंजीकृत किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह कथन किया गया है कि परिवादी की पुत्री लक्ष्मी का विवाह लगभग 25 वर्ष पूर्व रक्षा राम के साथ हुआ था। उसने लगभग एक वर्ष पूर्व आत्महत्या कारित कर ली। स्वर्गीय लक्ष्मी की पुत्री हिमांशी ने भी दिनांक 08.03.2026 को आत्महत्या कारित कर ली। इसके पश्चात कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने सूचनाकर्ता को बताया कि मृतका के परिवार के सदस्य (अभियुक्तगण) उसका उत्पीड़न किया करते थे, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। मृतका ने एक आत्महत्या-पत्र भी लिखा था, जिसमें उसने आत्महत्या करने के लिए अपनी नानी (परिवादी) से क्षमा माँगी थी तथा यह कहा था कि उसकी नानी उसकी आत्महत्या का कारण पहले से ही जानती थीं। उसने यह भी कहा था कि आवेदिका तथा उसकी सास केतकी देवी ही उसकी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थीं।

4. जमानत आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र में यह कथन किया गया है कि आवेदिका निर्दोष है, उसे वर्तमान मामले में झूठा फँसाया गया है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

5. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रभात कुमार मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य :विशेष अनुमति याचिका (दांडिक) संख्या 9591/2022 के मामले में दिए गए निर्णय पर निर्भरता व्यक्त की है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जहाँ आत्महत्या-पत्र की विषय-वस्तु में अभियुक्त की ओर से ऐसा कोई कृत्य या लोप परिलक्षित नहीं होता, जिससे उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 107 में परिभाषित दुष्प्रेरण के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सके, और जिसमें केवल यह दर्शाया गया हो कि अभियुक्तगण के दुर्व्यवहार के कारण मृतक निराश था, तो ऐसा कृत्य या लोप आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के तत्व का गठन करने वाला नहीं माना जा सकता।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध करते हुए, यह प्रस्तुत किया है कि मामले में विवेचना अभी जारी है।

7. उपर्युक्त तथ्यों एवं मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि आत्महत्या-पत्र में मात्र यह उल्लेख किया गया है कि मृतका ने आवेदिका तथा अपनी सास के कारण आत्महत्या कारित की है, किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनके द्वारा ऐसे कौन से कृत्य किए गए थे, जिनसे मृतका को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया गया; यह कि आवेदिका एक महिला है, जिसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 05.04.2026 से कारागार में निरुद्ध है तथा आवेदिका की सास, सह-अभियुक्त केतकी को आज ही दांडिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 4207/2026 में पारित पृथक आदेश के माध्यम से जमानत प्रदान की जा चुकी है, मामले के गुण-दोष को प्रभावित करने वाली कोई टिप्पणी किए बिना, मेरा यह मत है कि उपर्युक्त तथ्य आवेदिका को उपर्युक्त वाद अपराध में जमानत पर रिहा किए जाने हेतु पर्याप्त आधार प्रस्तुत करते हैं।

8. तदनुसार, यह जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

9. उपर्युक्त वाद अपराध में आवेदिका-सोनम को संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नवत् शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदिका अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी;
- (ii) आवेदिका अभियोजन के साक्षियों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगी;
- (iii) आवेदिका विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगी, जब तक कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से उसे छूट प्रदान न की गई हो।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जून 15, 2026

राम

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।